P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-3* June- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

बालश्रमिकों की शिक्षा हेतु संचालित विशेष विद्यालयों के भौतिक कारकों का अध्ययन

प्रमोद जोशी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
स्कूल ऑफ एजूकेशन,
हरियाणा केन्द्रीय वश्वविद्यालय,
महेन्द्रगढ़, हरियाणा

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए सन् 1988 में निर्मित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के माध्यम से स्थापित बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक कारकों का अध्ययन करना है। इस अध्ययन हेतु अंश न्यादर्श चयन विधि के आधार पर राजस्थान राज्य के जिलों का चयन किया तथा आकस्मिक न्यादर्श विधि के आधार पर अलवर जिले में संचालित 10 बाल श्रमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित निरीक्षण अनुसूची का प्रयोग किया गया है। एकत्रित प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत मान का प्रयोग किया गया। अध्ययन के परिणाम इंगित करते हैं कि अलवर जिले में संचालित बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों के भौतिक कारकों का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि ये विद्यालय पूर्णतः राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाये गये।

मुख्य शब्द : बाल श्रमिक, बाल श्रम, बाल श्रमिक विशेष विद्यालय (बा.श्र.वि.वि.)

प्रस्तावना

बालक ईश्वर की अनमोल कृति है लेकिन देश का भविष्य कहे जाने वाले ये बालक बढ़ती गरीबी में अपना बाल्यकाल विद्यालय में नहीं अपितु नन्हें हाथों से श्रम करके किसी खदान, भट्टी या तपती धूप में व्यतीत कर रहे हैं। अत्यधिक गरीबी के कारण बच्चे विद्यालय एवं पढ़ाई से मीलों दूर रहते हैं साथ ही सामाजिक जीवन में भी उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान नहीं मिलता। इससे इनके मन में तनाव उत्पन्न होता है। यह बालश्रमिक वर्ग हमेशा से उपेक्षा और शोषण का शिकार रहा है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बालश्रमिकों का उन्नयन सम्भव है। शिक्षा के द्वारा ही उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, एवं सृजनात्मक शक्ति को विकसित किया जा सकता है। पढ़–लिखकर वे ज्ञान–विज्ञान की गतिविधियों से परिचित हो सकते हैं तथा अन्याय और दमन के विरुद्ध संघर्ष करके भारतीय समाज में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं।

बालश्रम के क्षेत्र में विभिन्न शोध कार्य पूर्व में भी सम्पन्न किए जा चुके हैं, यथा– रेवेलियन व वॉडान (2000) ने बालश्रमिकों का औसत नामांकन दर, नोवैला (2013) ने अनाथ बच्चों के विद्यालय जाने की सम्भावना कम तथा काम करने की सम्भावना बढने, इसी प्रकार आसाद व अन्य (2010) ने लड़कियों के घरेलू कार्य करने पर विद्यालयी उपस्थिति के सन्दर्भ में, बेजेरा व अन्य (2009) ने ब्राजील में बालश्रम का शैक्षिक उपलब्धि तथा विद्यालयी गुणवत्ता पर प्रभाव के विश्लेषण का, रोगैरा व अन्य (2007) ने बालकों के स्वास्थ्य पर बालश्रम के प्रभाव का, तोमासेवस्की कटेरिना (2003) ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के द्वारा बालश्रम के उन्मूलन के लिए एक मानव अधिकार उपागम पर अध्ययन, रोसाती तथा रोसी (2001) ने पाकिस्तान तथा निकारगुहा में बच्चों द्वारा काम करने के घण्टों तथा विद्यालयी उपस्थिति के घटकों का विश्लेषण के दौरान बच्चों के काम करने के घण्टों का बच्चों के विद्यालय न जाने में सार्थक सम्बन्ध पाया। बालश्रम जैसी गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं यहाँ तक कि संविधान में भी विभिन्न अनुच्छेदों में बालश्रम को रोकने हेतु विभिन्न कानूनी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद संख्या 23 में बालश्रम को अवैध माना गया। अनुच्छेद–21 क में संविधान के 86 वें संशोधन सन् 2002 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। बालश्रमिकों की शिक्षा के लिए सन् 1988 में निर्मित 'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना' के माध्यम से बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों

का संचालन किया। किन्तु इन प्रावधानों के होते हुए भी परिणाम संतोषजनक नहीं हैं न ही वर्तमान में प्राप्त उपलब्धियाँ संविधान के निर्माताओं की उदात्त आशाओं के अनुरूप है। स्पष्ट है अभी तक जो कुछ व्यवस्थायें अथवा प्रावधान किये गये है उनसे यह वर्ग पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पाया है। शोधार्थी ने बालश्रमिक विशेष विद्यालयों पर दृष्टिपात कर यह देखा कि कुछ विद्यालय तो अपना कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कर रहे हैं और कुछ विद्यालयों की दशा यह थी कि वे मात्र खानापूर्ति कर रहे हैं। अतः शोधार्थी के मस्तिष्क में कुछ स्वाभाविक जिज्ञासायें एवं प्रश्न उत्पन्न हुए जो प्रस्तुत शोध समस्या के चयन का कारण बने।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं –

बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों के भौतिक कारकों के संदर्भ में श्रमिक बस्ती से दूरी, भवन निर्माण के प्रकार, कक्ष के आकार, संवातन व प्रकाश की व्यवस्था, फर्नीचर व्यवस्था, सामान रखने की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, पेय जल व्यवस्था, प्रसाधन हेतु जल व्यवस्था तथा सफाई व्यवस्था का अध्ययन करना।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वैयक्तिक अध्ययन विधि को अपनाया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान के बालश्रमिक विशेष विद्यालयों को शोध की जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस अध्ययन हेतु अंश न्यादर्श चयन विधि के आधार पर राजस्थान राज्य के जिलो चयन तथा आकस्मिक चयन विधि के आधार पर अलवर जिले में संचालित 10 बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों को अध्ययन हेतु सम्मिलित किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण

शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित उपकरण निरीक्षण अनुसूची का प्रयोग बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक कारकों के अध्ययन हेतु किया गया है।

शोध परिणाम

शोधार्थी द्वारा अलवर जिले में संचालित सभी बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों के भौतिक कारकों का अध्ययन करने के परिणामस्वरूप निम्न उपलब्धियाँ रहीं।

बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों की श्रमिक बस्ती से दूरी का विवरण

अलवर जिले में संचालित बा.श्र.वि.वि. में से 60 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. गरीब बस्ती के 1 किमी. के दायरे के अंतर्गत जबकि 40 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. ऐसे थे जो कि श्रमिक बस्ती से 1 किमी. के दायरे से अधिक दूरी पर स्थित थे।

बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों के भवन निर्माण के प्रकार का विवरण

80 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. पक्के भवनों में, जबकि 20 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. ऐसे थे जो कि पक्के एवं कच्चे अर्थात् मिश्रित भवनों में संचालित थे।

तालिका संख्या 1
बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों के भवन में उपलब्ध कक्षों का विवरण

आयाम	श्रेणी	बाल श्रमिक विशेष विद्यालय	
		N	%
विद्यालय भवन में उपलब्ध कक्ष	कार्यालय कक्ष	3	30
	कक्षा कक्ष	10	100
	रसोई कक्ष	4	40
	अन्य (बरामदा)	6	60

उपर्युक्त तालिका के अनुसार अलवर जिले में संचालित बा.श्र.वि.वि. में सभी बा.श्र.वि.वि. में कक्षा कक्ष उपलब्ध थे। जबकि केवल 30 प्रतिशत विद्यालयों में कार्यालय कक्ष, 40 प्रतिशत विद्यालयों में ही रसोई कक्ष तथा 60 प्रतिशत विद्यालयों में छोटे अथवा मध्यम आकार के बरामदे स्थित थे ।

बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में कक्षाकक्ष के आकार का विवरण

मात्र 30 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में ही उपलब्ध कक्षाकक्षों का आकार पर्याप्त था जबकि 70 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में कक्षा कक्ष का आकार अपर्याप्त था।

तालिका संख्या 2
बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में कक्षों की स्थिति का विवरण

आयाम	श्रेणी	बाल श्रमिक विशेष विद्यालय	
		N	%
विद्यालय भवन में कक्षों की स्थिति	उत्तम	4	40
	सामान्य	3	30
	निम्न	3	30

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत विशेष विद्यालयों के कक्षों की स्थिति उत्तम अर्थात् इन विद्यालयों के कक्ष पलास्टर युक्त, दरार रहित, कक्षों की फर्श पक्की एवं लेंटर की छत वाले पाए गए। दीवारों तथा दरवाजे एवं खिड़की आदि पर रंगाई–पुताई भी की गई थी। 30 प्रतिशत विशेष विद्यालयों के कक्ष सामान्य स्थिति अर्थात कक्ष प्लास्टर युक्त थे छत पट्टी से पटाव युक्त थी। इसके अतिरिक्त 30 प्रतिशत विशेष विद्यालयों के कक्षों की स्थिति निम्न एवं दयनीय थी। निम्न व दयनीय स्थिति वाले कक्षों में दरारें पाई गई, फर्श भी पक्की नहीं थी साथ ही उनकी छत टीनशैड एवं खपरैल से पटाव की हुई थी।

तालिका संख्या 3
बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में संवातन व प्रकाश की व्यवस्था का विवरण

आयाम	श्रेणी	बाल श्रमिक विशेष विद्यालय	
		संख्या	प्रतिशत
विद्यालय भवन में संवातन व प्रकाश की व्यवस्था	उत्तम	5	50
	सामान्य	3	30
	निम्न	2	20

उपर्युक्त तालिका संख्या 3 से ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में संवातन एवं प्रकाश की व्यवस्था उत्तम थी, कक्षों में पर्याप्त मात्रा में खिड़की एवं रोशन दान उपलब्ध थे जिनसे कक्षों में पर्याप्त प्रकाश एवं संवातन की सुविधा उपलब्ध हो रहा थी। 30 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में संवातन व प्रकाश की व्यवस्था सामान्य, 20 प्रतिशत बा.श्र. वि.वि. ऐसे भी पाए गए जिनमें उपलब्ध कक्षाकक्षों में संवातन व प्रकाश की व्यवस्था अत्यंत दयनीय थी अर्थात् इनमें मात्र दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की एवं रोशनदान उपलब्ध नहीं थे, इससे कमरों में पर्याप्त संवातन व प्रकाश का अभाव था।

तालिका संख्या 4
बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में फर्नीचर व्यवस्था का विवरण

आयाम	श्रेणी	बाल श्रमिक विशेष विद्यालय	
		N	%
विद्यालय में उपलब्ध आवश्यक फर्नीचर	4 कुर्सी	7	70
	1 मेज	9	90
	2 दरी	6	60
	1 संदूक	8	80

यह तालिका स्पष्ट करती है कि 70 प्रतिशत बा. श्र.वि.वि. में चार कुर्सियाँ उपलब्ध थी जबकि 30 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में अनिवार्य चार कुर्सियों के स्थान पर दो या तीन ही पाई गई। 90 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में मेज उपलब्ध थी जबकि 10 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में मेज का अभाव पाया गया। इसी प्रकार 10 बा.श्र.वि.वि. में से 60 प्रतिशत बा.श्र. वि.वि. में ही विद्यार्थियों के बैठने के लिए दो बड़ी दरी उपलब्ध थी जबकि 40 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में दरी का अभाव पाया गया। 80 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में संदूक की व्यवस्था पायी गयी।

तालिका संख्या 5
बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में उपलब्ध फर्नीचर की स्थिति

आयाम	श्रेणी	बाल श्रमिक विशेष विद्यालय	
		N	%
विद्यालय में उपलब्ध फर्नीचर की स्थिति	उत्तम	5	50
	सामान्य	3	30
	निम्न	2	20

उपर्युक्त तालिका संख्या 5 बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में उपलब्ध आवश्यक फर्नीचर की स्थिति को भी स्पष्ट करती है कि 50 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में उपलब्ध फर्नीचर उत्तम स्थिति, 30 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में उपलब्ध फर्नीचर सामान्य स्थिति व इसके विपरीत 20 प्रतिशत बा. श्र.वि.वि. में उपलब्ध आवश्यक फर्नीचर की स्थिति निम्न व खराब थी।

बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में सामान रखने की व्यवस्था का विवरण

70 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में उपलब्ध सामग्री को रखने हेतु अलमारियों की पर्याप्त व्यवस्था थी जबकि 30 प्रतिशत विद्यालयों में आवश्यक सामग्री रखने हेतु पर्याप्त आलमारियों का अभाव पाया गया।

बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था का विवरण

अलवर जिले में संचालित समस्त बा.श्र.वि.वि. में से मात्र 20 प्रतिशत विद्यालयों में ही विद्युत व्यवस्था उपलब्ध थी जबकि शेष 80 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि में विद्युत व्यवस्था का अभाव पाया गया।

तालिका संख्या 6
बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था का विवरण

आयाम	श्रेणी	बाल श्रमिक विशेष विद्यालय	
		N	%
विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था	कर्मचारी व विद्यार्थियों हेतु अलग शौचालय	1	10
	कर्मचारियों व छात्राओं हेतु केवल एक शौचालय	5	50
	केवल कर्मचारियों हेतु शौचालय	2	20
	कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं	2	20

उपर्युक्त तालिका संख्या 6 स्पष्ट करती है कि 10 प्रतिशत अर्थात् एक विद्यालय में ही कर्मचारियों व अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए पृथक्–पृथक् शौचालय था, इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत विद्यालयों में एक शौचालय उपलब्ध था जिसका प्रयोग विद्यालय के कर्मचारियों एवं विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा किया जा रहा था जबकि छात्र बाहर खुले में निवृत्त होने जाते थे। 20 प्रतिशत विद्यालयों में एक शौचालय तो उपलब्ध था लेकिन उसका प्रयोग केवल विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा ही किया जा रहा था, इन विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राएँ बाहर खुले में ही निवृत्त होने जाते थे। 20 प्रतिशत विद्यालय ऐसे भी पाए गए जहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी।

बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में उपलब्ध शौचालय व्यवस्था की स्थिति

अलवर जिले में संचालित 10 बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में से 8 बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध थी। जिनमें से 25 प्रतिशत विद्यालयों में यह व्यवस्था उत्तम, 50 प्रतिशत विद्यालयों में सामान्य एवं 25 प्रतिशत विद्यालयों में निम्न स्थिति पायी गयी।

बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में पेय जल व्यवस्था की स्थिति का विवरण

50 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में पेय जल की व्यवस्था उत्तम पायी गई। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों व कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन ताजा पानी भरा जाता था, पानी भरने के पात्र भी साफ–सुथरे थे। इसी प्रकार 30 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में पेय जल की व्यवस्था सामान्य एवं 20 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में पेय जल की व्यवस्था निम्न

पायी गयी यहाँ विद्यार्थी स्नान, कपड़े धोने एवं हाथ धोने के उपयोग में आने वाली टंकी से ही पानी पी रहे थे।

तालिका संख्या 7

बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में जल संग्रह के स्रोत की व्याख्या

आयाम	श्रेणी	बाल श्रमिक विशेष विद्यालय	
		N	%
जल संग्रह के स्रोत	टंकी	4	40
	हैडपम्प	1	10
	घड़े	4	40
	बाल्टी	2	20
	घर से पानी की बोतल	2	20

जल संग्रह के स्रोत के रूप में उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 10 बा. श्र. वि. वि. में से 40% विद्यालयों में टंकी, 10% विद्यालय में हैडपम्प, 40% विद्यालयों में घड़े, 20% विद्यालयों में प्लास्टिक की बाल्टी की व्यवस्था थी जबकि 20% विद्यालय ऐसे भी पाए गए जहाँ विद्यार्थी पीने के पानी हेतु घर से पानी की बोतल लाते थे।

बालश्रमिक विशेष विद्यालयों में प्रसाधन हेतु जल व्यवस्था का विवरण

10 बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में से मात्र 40 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. मे प्रसाधन के निकट हाथ धोने हेतु पानी की व्यवस्था उपलब्ध थी जबकि 60 प्रतिशत बा.श्र.वि.वि. में प्रसाधन के निकट हाथ धोने हेतु पानी की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।

तालिका संख्या 8

बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में सफाई व्यवस्था का विवरण

अवधि क्षेत्र	प्रतिदिन	साप्ताहिक	पाक्षिक	अनिश्चित
	N	N	N	N
विद्यालय भवन की सफाई व्यवस्था	6 (60%)	2 (20%)	-	2 (20%)
शौचालय की सफाई व्यवस्था	2 (20%)	2 (20%)	1 (10%)	3 (30%)
पानी की टंकी की सफाई व्यवस्था	-	1 (10%)	1 (10%)	2 (20%)

उपर्युक्त तालिका संख्या 8 में प्रस्तुत आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि 60 प्रतिशतबाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में विद्यालय भवन की प्रतिदिन सफाई की जाती थी। 20 प्रतिशत विद्यालयों में सप्ताह में एक बार विद्यालय भवन की सफाई की जाती थी। 20 प्रतिशत विद्यालय ऐसे भी पाए गए जहाँ विद्यालय भवन की कभी–कभी ही सफाई की जाती थी। इन विद्यालयों में सफाई का कोई दिन निर्धारित नहीं था। बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में उपलब्ध शौचालयों की सफाई व्यवस्था को देखा जाए तो जिन 8 विशेष विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था उपलब्ध थी, उनमें से 20 प्रतिशत विद्यालयों में प्रतिदिन शौचालय की सफाई, 20 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय सफाई की साप्ताहिक व्यवस्था, 10 प्रतिशत विद्यालय में 15 दिन में एक बार सफाई तथा इसी प्रकार 30 प्रतिशत में शौचालय की सफाई के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं था। तालिका संख्या 8 से स्पष्ट होता है कि 4 बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में से एक–एक विद्यालय ऐसे पाए गए जिनमें टंकी की सफाई क्रमशः साप्ताहिक व पाक्षिक की जाती थी। इसके अतिरिक्त शेष 2 विद्यालयों में टंकी की सफाई हेतु कोई समय निर्धारित नहीं था।

अध्ययन के निष्कर्ष व सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणाम इंगित करते हैं कि – अलवर जिले में संचालित सभी 10 बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में भौतिक कारकों की उपलब्धता सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में नहीं पायी गयी। संसाधनों की उपलब्धता के सन्दर्भ में सुधार की आवश्यकता है विशेषकर उन बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों के सन्दर्भ में जहॉ भौतिक संसाधन उपलब्ध भी थे परन्तु उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी अतः उपलब्ध भौतिक कारकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *आसाद, राउगी व अन्य (2010). द इफैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वर्क ऑन गर्ल्स स्कूलिंग : ऐवीडेन्स फ्राम इजिप्ट, पॉपर्टी, जेन्डर एण्ड यूथ प्रोग्राम, पोपुलेशन काउन्सिल, कैरो, इजिप्ट.*
2. *बेजेरा एम.ई.जी व अन्य (2009). द इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर स्कूल एण्ड क्वालिटी ऑन एकेडमिक अचीवमेन्ट इन ब्राजील, डिपार्टमेन्टस ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड कन्ज्यूमर इकोनोमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लिइनियोस एट मखेना–कैचिन, ममफोर्ड हॉल, ग्रेगोए, अखाना, यू.एस.ए.*
3. *भारत (2010). बालश्रम, गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसाधन मंत्रालय, भारत सरकार (वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ), सूचना भवन, सी. जी. ओ., नई दिल्ली.*
4. *भट्ट, बिलाल अहमद (2010). जेण्डर एजूकेशनल एण्ड चाइल्ड लेबर ए सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिव एजूकेशनल रिसर्च एण्ड रिव्यूज, वॉल्यूम 5(6) एकेडिमिक जनरल सेक्टर ऑफ सेन्ट्रल एशियन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इण्डिया.*
5. *जयरंजन, जे. (2001). इवेल्यूशन ऑफ एन.सी.एल.पी. स्पेशल स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैलोर, तमिलनाडु.*
6. *नोवैला, राफेल (2013). आरफनहुड, हाउसहोल्ड रिलेशनसिप, स्कूल अटेण्डेन्स एण्ड चाइल्ड लेबर उन जिम्बावे, आई.एस.ई.आर., यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, जिम्बावे.*
7. *प्रधान, नित्यानन्द व मिश्रा, आर.एन. (2006). पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड लेबर इन कोरापूट डिस्ट्रिक्ट एण्ड रिलेटेड इसुज इन एजूकेशन एट प्राइमरी स्टेज*

: ए केस स्टडी, डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन, डी.ए.वी. कॉलेज, कोरापुट, उडीसा.

8. *रोगैरा, पाओला व अन्य (2007). द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर इन डेवलपिंग कन्ट्रीज : एवीडेन्स फ्रॉम क्रासकन्ट्री डेटा, एम.जे. पब्लिक हेल्थ, यूनिसेफ, इटली.*
9. *रोसाती, एफ.सी. तथा रोसी, एम. (2001) : चिल्ड्रन्स वर्किंग आवर्स, स्कूल इनरोलमैण्ट एण्ड ह्यूमन कैपीटल एक्यूमिलेशन, एवीडेन्स फ्रॉम पाकिस्तान एण्ड निकारागौ यू.सी.डब्ल्यू. (आई.एल.ओ.) यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, टॉर बर्गेरा, इटली.*
10. *रेवेलियन, मार्टिन व वॉडान, क्वेन्टिन (2000). इज चाइल्ड डिस्प्लेस स्कूलिंग? एवीडेन्स ऑन बेहिवरल रिस्पॉन्स टू एन एनरौलमेण्ट सब्सिडी, द इकॉनोमिक जर्नल, 110(मार्च), रॉयल इकोनोमिक सोसाइटी 2000, ब्लैकवैल पब्लिशर्स, यू.एस.ए.।*
11. *सूचना अधिकार अधिनियम (2013). बालश्रमिक विशेष विद्यालय सम्बन्धी सूचना, सूचना और प्रसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.*
12. *तोमासेवस्की, कटेरिया (2003). ए ह्यूमन राइट्स एप्रोच टू द एलीमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर थ्रु फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन, आई.एल.ओ., इन्टरनेशनल प्रोग्राम ऑन द एलीमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जेनेवा.*
13. *यूनिसेफ (2010). चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉयलेन्स, यू.सी.डब्ल्यू. प्रोजेक्ट, न्यूयॉर्क.*